the Central Silk Board through the Ministry of Textiles to stop the import of raw silk on account of its alleged misusue.

Although raw silk has been included in the Negative List of Imports, its import is permitted under the Duty Exemption Scheme to enable the exporters to meet their requirements of raw silk for export production. Keeping in view the genuine requirements of exporters, import of raw silk may continue to be allowed under the Duty Exemption Scheme. However, the Government have taken the following steps to restrict the import of raw silk and prevent its misuse under this Scheme.

(i) The Input-Output norms for import of raw silk under the Duty Exemption Scheme have been revised.

(ii) The facility of Value Based Advance Licensing has been withdrawn in the case of silk textile products.

(iii) Pre-Shipment inspection scheme has been re-introduced for silk products exported against import of raw silk made under the Duty Exemption Scheme.

Private Sector Participation in EPZs

727. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to permit private Sector participation in the management of Export Promotion Zones in a bid to improve their performance;

(b) if so, the details thereof and reasons therefor;

(c) whether such public/private partnership would be successful in the country; and

(d) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Suggestions have been mooted for harnessing private/joint sector resources in strengthening the infrastructure of Export Processing Zones, but there is no proposal under the consideration of the Government to permit private sector management of the existing Zones.

(b) to (d) Do not arise.

Frauds under VABAL Scheme

728. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI:
SHRI G.Y. KRISHNAN:
DR. NAUNIHAL SINGH:
SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain cases of fraud have been reported under the Value-Based Advanced Licensing Scheme (VABAL);

(b) if so, the number and nature of such cases;

(c) what has been loss of revenue in these cases;

(d) what has been its impact on the local market; and

(e) whether Government are considering withdrawal of the scheme?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (c) Complaints about misuse of Value-Based Advance Licences under Duty Exemption Scheme for import of plastic raw materials have been received. These complaints contain allegations regarding import of large quantity of plastic raw materials dis-proportionate to the exports made and over-invoicing of export product. While some cases of misuse have been detected by the Directorate of Revenue Intelligence, investigations so far have not revealed any large-scale fraud. As such the loss of revenue cannot be estimated.

(d) Representations have also been received that prices of certain commodities have come down in the domestic market as a result of the misuse

of VABAL Scheme thereby hurting the domestic industry. Vide Notice No. 163 dated 14.9.93 Government have placed 20 additional items in the Sensitive List thereby restricting the quantity and the value of their imports.

(e) As at present Government do not have any proposal under consideration for withdrawal of the scheme.

म्यांमार के साथ व्यापारिक संबंधों का बढ़ाया जाना

729. **श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हमारा पड़ौसी देश होने के बावजूद म्यांमार के साथ हमारे बहुत ज्यादा व्यापारिक संबंध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो म्यांमार के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत तथा म्यांमार के बीच द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा निम्नानुसार रही है:

(मूल्य: मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	योग	व्यापार संतुलन
1990-91	1.87	85.53	87.40	-83.66
1991-92	3.81	50.92	54.73	-47.00
1992-93	6.79	111.27	118.06	-104.48

(ख) म्यांमार के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में दोनों देशों के बीच सरकारी तथा व्यापार प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान शामिल है। इसके अलावा, भारत तथा म्यांमार ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को नया संवेत प्रदान करने के लिए दिनांक 21.1.94 को एक सीमा व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए। सीमा व्यापार करार से दोनों देशों के बीच संबंधों में आर्थिक मात्रा का और लाभ मिल सकेगा।

चाय के आयात की अनुमति

730. **श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव:**
श्री सुन्दर सिंह भंडारी:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चाय के आयात की अनुमति प्रदान की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार इस आयातित चाय को भारतीय चाय में मिलाकर तत्पश्चात उसे निर्यात करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय की छवि खराब होगी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार चाय के आयात पर रोक लगाने का विचार रखती है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): क) और (ख) चाय के आयात की अनुमति केवल उन निर्यात अभिमुख इकाइयों और निर्यात संसाधन जोनों में स्थित इकाइयों की है जो उनका भारतीय चाय के साथ मिश्रण करने के बाद पुनर्निर्यात करती हैं।

(ग) से (च) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय किए गए हैं कि चाय के ऐसे आयात से भारतीय चाय उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय की छवि प्रभावित न हो। इस योजना में यह भी निर्धारित किया गया है कि ऐसे उद्यमों को कम से कम 40% मूल्यवर्धन का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। उसमें यह भी प्रावधान है कि ऐसे मामलों में चाय बोर्ड के लोगों जो कि शुद्ध भारतीय चाय का प्रतीक है, का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि मूल्यवर्धित चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चाय का निर्यात केवल छोटे पैकटों में किया जाएगा न कि बल्क रूप में। इन इकाइयों को किसी घरेलू बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय चाय उद्योग पर कोई विपरीप प्रभाव तो नहीं पड़ा है। इस समय पुनर्निर्यात के लिए ऐसी चाय के आयात को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।